

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, विराटनगर  
(पीठासीन अधिकारी - रणजीत सिंह R.A.S.)

पीठासीन अधिकारी - रणजीत सिंह R.A.S.  
1 शकाला काल 01-चौकाल उनवान  
कि प्रकृत जाति कुशा वनाम

2 हराज 02 बुनेड कि अर्जके  
जाति गुजरी नि 3328 अर्जके  
मोहल्ल नसीयका अर्जके  
उप-पंजीयक विराटनगर जिला जयपुर

मुकदमा नम्बर - 147/2012 व 87/2015  
निर्णय दिनांक - 12-7-16

वादी की ओर से श्री. सु. उ. प्रो. कुशा व प्रतिवादी की ओर से  
श्री. लखिन शर्मा को उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 12-7-16 को रणजीत  
सिंह, उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (नाम पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश  
होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -  
इसे 07/2015 साहीन होने वाद वादी 147/2012  
जाना है।

यह आज तारीख 12-7-16 खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।  
को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(रणजीत सिंह)  
उपखण्ड अधिकारी  
पीठासीन अधिकारी  
विराटनगर लोक-अदालत  
न्याय आपके द्वार-2016  
उपखण्ड क्षेत्र विराटनगर

वाद के खर्च		प्रतिवादी
	रुपया	रुपया
1. वादपत्र के लिए स्टाम्प	/	/
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		
4. रुपये पर स्लीडर की फीस		
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		
6. कमिश्नर की फीस		
7. आदेशिका की तामील		
जोड़ :-		
		जोड़ :-

मूल वाद में डिक्ती

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, विराटनगर

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट), कैम्प

पीठासीन अधिकारी :- रणजीत सिंह R.A.S.

विराटनगर

1 शकणालाल @ चोपकाल उन्वान

2 हेराज @ सुरेन्द्र कि शकन्द

कि पुनमत जगदी कुम्हार बनाम

जालि गुजरी मि-3328 सुतरवाला

कि सनात नहर विमान

मोहल्ल नसीबवाह अजमेर

मुकदमा नम्बर :- 147/2012 व 87/2015

3 राज मल्लार जय नहलीवाह विमान

निर्णय दिनांक :- 12-7-16

4 उप-पंजीयक विराटनगर जिला जयपुर

वादी की ओर से श्री. एड. अशोक कुमार शर्मा की व प्रतिवादी की ओर से

श्री. महिलेश शर्मा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 12-7-16 को रणजीत सिंह, उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (नाम पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्ती दी जाती है कि -

रुके 87/2015 सारलीन हुने व खाजि किया जाय है।

यह आज तारीख 12-7-16 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(रणजीत सिंह)  
पीठासीन अधिकारी  
विराटनगर लोक-अदालत  
न्याय आपके द्वार-2016  
प्रतिवादी उपखण्ड क्षेत्र विराटनगर

वाद के खर्चे		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वादपत्र के लिए स्टाम्प	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	/
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड :-		जोड :-	

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही
	12716	<p>पतावाली राजस्थान कैम्प जोधपुर में पेश होने पर उपस्थित पंचकारण की श्रममा-ए-आम के सुना गया है। आम भोजे के साक्षि-र शक. 423/1-00, 445/0.74, 446/0.31 हूँ कायम लिपे गये हैं। वादीने अपने वाद मे यह माना है कि आएजी भुटनाजा परिवारी के पूर्वज दादा प्रभात पुत्र लाड गुर्जर के 28-6-1973 को निपमन हुई है तथा साक्षि रिकार्ड से वर्तमान राजस्थान रिकार्ड में आएजी भुटनाजा परिवारी के पूर्वज / परिवारीगण के नाम दर्ज रिकार्ड रही है। यही भी कि वादीगण डाए उक्त निपमन आवंटन दिनांक 28-6-1973 के विकसित आधार पर अपा जिला कलक्टर कोटपुतली में प्रकृत सं. 20/2013 उपवानी अध्यालय बनाम देसायजी के</p>	



उप खण्ड अधिकारी  
जयपुर

फर्द अहकाम

शिवलाल कोठ

बनाम

V/S हंसराज कोठ

उपखण्ड अधिकारी

विराटनगर (जयपुर)

दावा

क्र. 147/2012

विशेष  
दिनांक आज्ञा या  
कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

पार्श्विका फा अर्हणत निपत्र 14 (4)  
पेश कर रखा है जो विचारणीय  
है। यह भी कि नियमन/आवंटन  
के विरुद्ध जालेदारी अधिका  
रिचे जाने की अधिकांश शायकत  
हाजा को प्राप्त गयी है अतः वाद  
वादी 147/2012 स्पं. 87/2015  
साखीन होने से खारिज किया  
जाता है। निर्णय की प्रति दोनों  
पक्षधारियों में शामिल की जाये।  
निर्णय आज खुले न्यायालय में  
सुनाया गया।



*[Signature]*  
12.7.16  
पीठासीन अधिकारी  
राजस्व लोक-अदालत  
न्याय आपके द्वार-2016  
उपखण्ड क्षेत्र विराटनगर